तिथिबद्व/फैक्स

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0, श्रम विभाग,
हरियाणा राज्य।

कमांकः स्था0/03/2018 39095-147 दिनांकः 4-12-18

विषयः– लोकायुक्त शिकायत 221/15 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 34951–102 दिनांक 12.10.2018 के सन्दर्भ में।

विषय सम्बंध में आपसे उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक से पत्र प्राप्त हुआ हैं जिसके माध्यम से उन द्वारा मै0 पब्लिक सिक्योरिटी एंव प्लेसमैन्ट सर्विस, हिसार जिस द्वारा श्रम विभाग में जुलाई 2010 से 23 जून 2011 तक आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का उक्त अवधि का EPF की राशि भुगतान नये पी0एफ0 खाता खोलते हुये उनके खाते में जमा करवाने बारे 200 कर्मचारियों की सूचि इस कार्यालय को भेजी गई है, जिसमें से 6 कर्मचारियों की कार्य सीमा अवधि कम होने के कारण पी0एफ0 नही काटा गया दर्शाया है। जिस पर आपको निर्देश दिये गये थे कि वह (दो दिन के अन्दर–2) उक्त सूचि में दर्शाये गये कर्मचारियों का मिलान करते हुये उनके पी0एफ0 की सही राशि प्राप्त होने या ना होने तथा इसके अतिरिक्त यदि किसी कर्मचारी (अनुबन्ध आधारित) द्वारा विभाग में कार्य किया गया है व उसका नाम उक्त सूचि में दर्शाया नही गया है और नाहि उनका पी0एफ0 जमा करवाया गया है बारे अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.10.2018 तक मुख्यालय में भेजे, परन्तु आपसे अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुआ है।

जिस पर आपकों निर्देश दिये जाते है कि सम्बधिंत डी0डी0ओं0 को अपने अधिनस्थ कार्यालयों से सम्बधिंत सहायक, रिकार्ड सहित जिलावार निम्न दिनांक को मुख्यालय पर उपस्थित होंवेः–

1. फरीदाबाद : दिनांकः– 05.12.2018
2. गुरूग्राम : दिनांकः– 06.12.2018
3. पानीपत व सोनीपत : दिनांकः– 12.12.2018
4. पंचकुला, कुरूक्षेत्र व अम्बालाः दिनांकः– 13.12.2018
5. कैथल, जीन्द, हिसारः दिनांकः– 19.12.2018
6. अन्य शेष जिले दिनांकः– 20/21.12.2018

(हस्ताक्षर)
उप अधीक्षक (स्था0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा

D:\E-Backup\Rajinder\Noting & Draft New\Draft.docx